



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2023/124

--:आदेश:-

दिनांक 19/02/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड प्रति व केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 187 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पुनाडिया	187	भूराराम पुत्र चेनाराम	महेन्द्र कुमार उर्फ भूराराम पुत्र चेनाराम



3
सहायक न्यायाधीश पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 20/02/25

कमांक/कोर्ट/2025/179-181
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का कोटबालियान को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र चेनाराम जाति सीरवी निवासी बाली तहसील बाली को सूचनार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी पदेन
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली